

ज्ञापानंक 326...../पत्रांक 17/18

कार्यालय, अग्निशामालय पदाधिकारी सचिवालय, पटना

प्रेषक,

साधना कुमारी
अग्निशामालय पदाधिकारी,
सचिवालय, पटना

सेवा में,

मधु बुध
जयकनपुरत साउथ पब्लिक स्कूल
न्यू जयकनपुरत पटना - 01

दिनांक- 16/09/09

प्रसंग -

विषय- आपके प्रतिष्ठान में लगाये गये उपकरण/ यंत्र की जाँच प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महाम्राय,

उपर्युक्त प्रासगाधीन विषय के आलोक में कहना है कि आपके प्रतिष्ठान में दिनांक 13.09.09 अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किया गया जिसमें निम्नलिखित अग्निशामक यंत्र/ उपकरण पाया गया -

1. ABC	- 6	Kg	6	अदद
2. CO ₂	4.5	Kg	1	अदद
3. DCP	X	Kg	-	अदद
4. W Co ₂	X	Kg	-	अदद
5. Fire Bucket	X	Kg	-	अदद
6. Blanket	X			

उक्त सभी यंत्र/ उपकरण सक्रिय अवस्था में पाया गया।

सुझाव -

1. बिहार अग्निशामन विधेयक-2014 के अनुरूप सभी उपकरणों को लगायी जाय।
2. आई०एस०-2190/1992 के अनुरूप अग्निशामन यंत्रों के रख-रखाव एवं संधारण करेंगे।
3. एन०बी०सी०-1016 के गार्ड-लाईन का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. वर्ष में दो बार मॉकड्रील का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. कभी भी किसी समय औचक निरीक्षण के समय यंत्रों/ उपकरण के रख-रखाव में कमी जाये जाने पर प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
6. रख-रखाव के अभाव में अग्निशामन यंत्रों/ उपकरणों में आने वाली खराबी की सारी जबाबदेही प्रतिष्ठान के प्रबंधक की होगी।
7. यह प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इसकी मान्यता निर्गत तिथि से 1 वर्ष मान्य होगा।

सादर,

विश्वासभाजन

Sadhna Kumari
16/09/09
(साधना कुमारी)

फोन नं० 0612-7215721, मो०-9473199637

अग्निशामन पदाधिकारी
अग्निशामालय पदाधिकारी
सचिवालय, पटना।

भवनों का जाँच-प्रतिवेदन

- | | |
|--|--|
| 1. अपार्टमेंट का नाम एवं पूरा पता | - <u>फतेहपुर शायब पवाट पब्लिक स्कूल</u> |
| 2. भवन के सामने रोड की चौड़ाई | - <u>10 मीटर लगभग</u> |
| 3. सेट-बैक की चौड़ाई | - <u>नहीं</u> |
| 4. भवन का प्रकार | - <u>स्कूल (01+4)</u> |
| 5. फायर एक्सटीग्यूअर | - <u>ABC (6kg) - 6 अंश, CO₂ (4+5kg) - 1 अंश</u> |
| 6. हॉज रील | - <u>नहीं</u> |
| 7. डाउन कमर सिस्टम | - <u>नहीं</u> |
| 8. वेट राईजर सिस्टम | - <u>नहीं</u> |
| 9. फायर अलार्म सिस्टम | - <u>नहीं</u> |
| 10. स्प्रिंकलर सिस्टम | - <u>नहीं</u> |
| 11. अन्डर ग्राउन्ड वाटर टैंक की क्षमता | - <u>नहीं</u> |
| 12. ओभर हेड वाटर टैंक की क्षमता | - <u>नहीं</u> |
| 13. भवन में सीढ़ी की संख्या एवं चौड़ाई | - <u>01 (एक)</u> |
| 14. भवन में लिफ्ट की संख्या | - <u>नहीं</u> |
| 15. भवन में बेसमेंट है या नहीं? | - <u>नहीं</u> |
| 16. हॉज बॉक्स | - <u>नहीं</u> |
| 17. ब्रान्च वीथ नोजल | - <u>नहीं</u> |
| 18. भवन में किसी ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ का भंडार | - <u>नहीं</u> |

जाँच पदाधिकारी का सुझाव - स्कूल का निदान अंशगत भर्पा संविधान द्वारा 13.09.019 को किया गया। मिलने पाया गया कि 6 ABC(6kg) का तथा CO₂(4+5kg) - 1(एक) अंश निर्धारित है। भवन के इलेक्ट्रिकल कामले कम नाए और ABC(6kg) लगाने की अनुशंसा की जाती है।

सलाह - तथा पूरे भवन पर्याप्त अंशगत विन्डम लगाने की आवश्यकता है। बच्चों की सुरक्षा के इलेक्ट्रिकल आपदा सिद्धी को बनवाया जाए। एसी तथा स्वीच बोर्ड के पास परत न लगाया जाए तथा कागजात के अरे आगमारी न रखे जाए। भवन के निष्पत्ती उपकल्पा के समय-समय पर मिलनी ल जाय रूपा जाए।

विश्वपाल मजु
आगशालय पदाधिकारी,
Delhi Fire Force
13/09/019